



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102024-257801
CG-DL-E-10102024-257801

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4033]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 10, 2024/आश्विन 18, 1946

No. 4033]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 2024/ASVINA 18, 1946

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4396(अ).—केंद्रीय सरकार पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 2 के खंड (ख) के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप खंड (ii), तारीख 11 जून, 2014 में प्रकाशित, भारत सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की संख्यांक का.आ. 1495 (अ), तारीख 10 जून, 2014 की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, पैरा 1 में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु लागू सामान नियमों के अधीन यथा अनुमत्य पालतू कुत्ते या पालतू बिल्ली को पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा स्टेशन, चेन्नई की अधिकारिता के अधीन कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, कोच्चि के माध्यम से आयात की अनुज्ञा दी जाएगी।”

[फा. सं. 109-01/2012-व्यापार (ई-17748)]

वर्षा जोशी, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में, अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1495 (अ) तारीख 11 जून, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का. आ. 4025 (अ), तारीख 06 नवंबर, 2020, का. आ. 2825 (अ), तारीख 14 जुलाई, 2021, का. आ. 489 (अ), तारीख 04 फरवरी, 2022, का. आ. 4990 (अ), तारीख 20 अक्टूबर, 2022 और का. आ. 191 (अ), तारीख 11 जनवरी, 2023 द्वारा पश्चातवर्ती रूप से संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2024

S.O. 4396(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 read with clause (b) of section 2 of the Live-stock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries number S.O. 1495 (E), dated the 10th June, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 11th June, 2014, namely:--

In the Schedule to the said notification, in paragraph 1, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that a pet dog or pet cat as permitted under the applicable baggage rules shall be allowed to be imported through Cochin International Airport, Kochi under the jurisdiction of Animal Quarantine and Certification Station in Chennai.”.

[F. No. 109-01/2012-Trade (E-17748)]

VARSHA JOSHI, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1495 (E), dated 11th June, 2014 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 4025 (E), dated the 6th November, 2020, S.O. 2825 (E), dated 14th July, 2021, S.O. 489 (E), dated 4th February, 2022, S.O. 4990 (E), dated 20th October, 2022 and S.O. 191 (E), dated 11th January, 2023.